LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session (Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XV contains Nos.11 to 18)

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Mahavir Singh **Director**

Narad Prasad Kimothi Sunita Arora **Joint Director**

Maneesha Bhushan
Assistant Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XV, Seventh Session, 2021/1943 (Saka) No. 13, Wednesday, December 15, 2021/ Agrahayana 24, 1943 (Saka)

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
*Starred Question Nos. 241 to 244	12-27	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
Starred Question Nos. 245 to 260	28-82	
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990	83-708	

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPE	RS LAID ON THE TABLE	710-758
	AGE FROM RAJYA SABHA AND AS AMENDED BY RAJYA SABHA	759-770
	MITTEE ON PETITIONS 23 rd to 25 th Reports	771-772
	MITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 53 rd to 60 th Reports and Action Taken Reports	773
STAT	EMENTS BY MINISTER	774-778
(i)	Status of implementation of the recommendations contained in the 21 st Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on "Safety Management and Practices in Steel PSUs" pertaining to the Ministry of Steel Shri Faggansingh Kulaste	774
(ii)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 155 th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Action Taken by Government on the recommendations /observations contained in 150 th Report of the Committee on export of organic products: challenges and opportunities" pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry	

(b)	Status of implementation of the recommendations/observations contained in the	
	156th Report of the Department-related	
	Parliamentary Standing Committee on Commerce	
	on Demands for Grants (2020- 2021) (Demand	
	No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.	776
	Commerce, Ministry of Commerce and industry.	
(c)	Status of implementation of the	
	recommendations/observations contained in the	
	159 th Report of the Department-related	
	Parliamentary Standing Committee on Commerce	
	on Demands for Grants (2021- 2022) (Demand	
	No. 10) pertaining to the Department of	
	Commerce, Ministry of Commerce and Industry	
	Shrimati Anupriya Patel	777
(iii)	Status of implementation of the	
	recommendations/observations contained in the	
	23 rd Report of the Standing Committee on	
	Communications and Information Technology on	
	"Demands for Grants (2021-2022)" pertaining to	
	the Department of Telecommunications, Ministry	
	of Communications	
	Shri Devusinh Chauhan	778
ELECTION TO COMMITTEE		
	Tea Board	779
		-

MATT	ERS UNDER RULE 377	780-805
(i)	Regarding water scarcity in Darjeeling	
	Parliamentary Constituency	
	Shri Raju Bista	780-781
(ii)	Regarding completion of land acquisition process pertaining to Talcher-Bimlagarh railway project	
	Shri Nitesh Ganga Deb	782
(iii)	Regarding construction of a Railway over Bridge in Shahjahanpur Parliamentary Constituency	
	Shri Arun Kumar Sagar	783
(iv)	Regarding construction of a road leading to Pune Airport	
	Shri Girish Bhalchandra Bapat	784
(v)	Regarding development of an archaeological site at Sitagarha in Hazaribagh	
	Shri Jayant Sinha	785
(vi)	Regarding opening of a new Kendriya Vidyalaya at Tekari block, district Gaya, Bihar	
	Shri Sushil Kumar Singh	786

(vii)	Regarding regulation of hair transplant market	
	Shri Parvesh Sahib Singh Verma	787
(viii)	Regarding safety of women in Odisha	
	Shrimati Aparajita Sarangi	788
(ix)	Regarding Live telecast of Solapur Gadda Yatra	
	Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji	789-790
(x)	Regarding creation of a Munsif Court in Kanpur district	
	Shri Ashok Kumar Rawat	791-792
(xi)	Need to start construction work of ROBs in Farrukhabad Parliamentary Constituency	
	Shri Mukesh Rajput	793
(xii)	Regarding facilities for CGHS Beneficiaries in Kozhikode	
	Shri M. K. Raghavan	794
(xiii)	Regarding setting up of a Passport office in Kasaragod district, Kerala	
	Shri Rajmohan Unnithan	795

(xiv)	Regarding infant and child mortality in Attappadi tribal area, Kerala	
	Shri V. K. Sreekandan	796
(xv)	Regarding privatization of Salem Steel Plant	
	Shri S. R. Parthiban	797
(xvi)	Regarding deaths of Armed Police Personnel in J&K	
	Prof. Sougata Ray	798
(xvii)	Regarding construction of a small Dam on river Mundeshwary in West Bengal	
	Shri Sunil Kumar Mondal	799
(xviii)	Regarding condition of buildings of Post Offices in Thane Parliamentary Constituency	
	Shri Rajan Baburao Vichare	800
(xix)	Regarding Rail facilities in East Central Railway Zone	
	Shri Dileshwar Kamait	801

(xx)	Regarding maintenance and beautification of historical Monuments	
	Kunwar Danish Ali	802-803
(xxi)	Regarding Electricity (Amendment) Bill-2021	
	Shri P.R. Natarajan	804
(xxii)	Regarding crimes against SCs and STs in Uttar Pradesh	
	Dr. Thol Thirumaavalavan	805
	XURE – I r-wise Index to Starred Questions	764
Membe	r-wise Index to Unstarred Questions	765-771
*ANNE	XURE – II	
Ministry	r-wise Index to Starred Questions	772
Ministry	r-wise Index to Unstarred Questions	773

 $[\]ensuremath{^{*}}$ Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh



LOK SABHA

Wednesday, December 15, 2021/ Agrahayana 24,1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल - प्रश्न संख्या 241.

श्री सी. लालरोसांगा जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, Lakhimpur ... (Interruptions). It has to be discussed immediately. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Baalu Ji is a senior Member.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हमें एक अच्छी परंपरा डालनी चाहिए। मैंने अभी आपका स्थगन प्रस्ताव खारिज तो नहीं किया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आप स्थगन प्रस्ताव के समय विषय उठाया कीजिए। आप प्रश्न काल को चलने दीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक अच्छी परंपरा डालिए कि प्रश्न काल चलना चाहिए। पूरा देश यह चाहता है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर बैठिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २४१ - श्री सी. लालरोसांगा जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। मैं आपको हर विषय पर चर्चा और संवाद करने के लिए पर्याप्त समय दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट्स पर जाइए। आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। जब मैं आपका स्थगन प्रस्ताव खारिज करूं, तब आप इस विषय को उठाइएगा।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप एक अच्छी परंपरा डालिए। सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छी परंपरा से सदन चले। आप सभी अपनी-अपनी जगहों पर जाइए। प्लीज, आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर विराजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है।

... (<u>व्यवधान</u>)

11.02 hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shri P.R. Natarajan, Dr. Mohammad Jawed, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thagapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 241, श्री सी. लालरोसांगा जी,

(Q. 241)

SHRI C. LALROSANGA: Hon. Speaker Sir, I would like to thank the hon. Minister for giving me a positive reply on the ongoing project in Mizoram for connecting Mizoram by railway line from Bairabi to Sairang. ... (*Interruptions*). I would like to ask the hon. Minister, through you, whether there is any plan for future ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जनता ने आपको यहां पर प्रश्न उठाने के लिए भेजा है। आप सभी माननीय सदस्य हैं, आप देश की लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

SHRI C. LALROSANGA: Whether there is any plan to extend the railway line further from Bairabi to Sairang. ... (*Interruptions*). I want to know if there is any plan to further extend the railway line in anticipation of the completion of the present railway line under construction for further extending it to South Mizoram to finally connect it with the Kaladan Multimodal Transit Transport project ... (*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Speaker Sir, the hon. Member has asked a very relevant question. ... (*Interruptions*) So far, 51.4 kilometre railway track has been approved in the State of Mizoram which will connect Bairabi to

Sairang ... (Interruptions). This is a very important section. ... (Interruptions). This will connect the capital Aizawl with the rest of the country in the railway network. ... (Interruptions). The project is worth Rs. 6,527 crore. ... (Interruptions). I would like to say that hon. Prime Minister Modi Ji has sanctioned projects worth Rs. 74,485 crore in the North-Eastern States. ... (Interruptions). From 2009 to 2014, only Rs. 2,122 crore per year was allocated. ... (Interruptions). Now, Rs. 7,292 crore is being allocated. ... (Interruptions). I will meet the hon. Member individually and understand what his other requests are. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के रेल का मामला है। एक माननीय सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तरी-पूर्व क्षेत्र के अंदर रेल जाएगी, तो वहां का विकास होगा। क्या आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं?

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

SHRI C. LALROSANGA: Sir, I would request the hon. Minister if he can at least tell us about this issue. ... (Interruptions) Is there any plan to further extend the railway line from Sairang to South Mizoram? ... (Interruptions)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the survey for this area has not yet been done. ... (Interruptions) Let us first reach Aizawl. ... (Interruptions) We will discuss further needs of that area because that area has a very difficult terrain. ... (Interruptions) I will meet the hon. Member and discuss what other things can be done. ... (Interruptions)

श्री कीर्ति वर्धन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऐसे माहौल में प्रश्न पूछने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) ये जिले नेपाल सीमा से सटे हुए उत्तरी उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत पिछड़े हुए हैं। ये जिले भारत सरकार की आकांक्षा जनपद श्रेणी में भी आते हैं। ... (व्यवधान)

मान्यवर, इस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से पिछले कार्यकाल में सरकार ने बहराइच से खलीलाबाद को जोड़ने के लिए एक नए रेल मार्ग को प्रस्तावित किया था और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस 4,939 करोड़ रुपये की योजना को वर्ष 2018 में स्वीकृति भी दे दी थी। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पांच जिलों को जोड़ने वाली इस अत्यंत महत्वपूर्ण योजना को गित प्रदान करने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई हो रही है, जिससे यह योजना अपने निर्धारित समय यानी वर्ष 2024-25 तक पूर्ण हो सके? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, नार्थ ईस्ट से नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रोजेक्ट के बारे में माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी बहुत अच्छी प्रोगेस हुई है। ... (व्यवधान) सिद्धार्थ नगर और पास के तीन जिलों के लैंड एक्विजिशन के लिए रिसेंट्ली फंड एलोकेट किया गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करके जल्दी से जल्दी लैंड एक्वायर करके इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का काम चल रहा है। ... (व्यवधान)

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य में एक नई रेल लाइन नासिक-पूना को रेल बोर्ड और रेल मंत्रालय ने इनप्रिंसिपल अप्रूवल दिया है।... (व्यवधान) उसका फाइनेंशियल स्टुक्चर, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 20 परसेंट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा 20 परसेंट और 60

परसेंट इक्विटी का है। महाराष्ट्र राज्य का जो 20 परसेंट शेयर है, उसको कैबिनेट से अप्रूवल भी मिला है और 60 परसेंट इक्विटी को भी मान्यता मिली है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पिछले छ: महीने से यह प्रपोजल रेल मंत्रालय के पास लंबित पड़ा हुआ है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसको अंतिम मान्यता कब मिलेगी और यह काम कब शुरू होगा? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद मेरे साथ अलग से बैठकर इस प्रोजेक्ट पर डिसकस कर सकते हैं। महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में मात्र 1,171 करोड़ रुपये का एलोकेशन होता था, लेकिन आज रेलवे के लिए माननीय मोदी जी ने 4,801 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का एलोकेशन किया है। इस साल वर्ष 2021-22 में 8,547 करोड़ रुपये का एलोकेशन है। ... (व्यवधान) इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एमपी साहब मेरे पास आ जाएं, हम इस पर बैठकर डिसकस कर लेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २४२, श्री कृपानाथ मल्लाह।

श्री कृपानाथ मल्लाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, दुल्लावचेरा जो कि करीमगंज का लास्ट स्टेशन है, वहां से मिजोरम तक एक्सटेंशन करने के बारे में मेरा प्रश्न था। ... (व्यवधान) मंत्री जी ने बताया है कि मिजोरम का कनेक्शन भैराबी से सारंग तक स्वीकृत हो चुका है। मेरा प्रश्न यह है कि दुल्लावचेरा से केवल 30 किलोमीटर दूर मिजोरम का बॉर्डर है। ... (व्यवधान) वहां के मैक्सिमम लोग ट्राइबल हैं, उनको आजादी के बाद से आज तक ट्रेन की सुविधा नहीं मिली है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मिजोरम का कनेक्शन दूसरी तरफ हो गया है तो उसे असम के लास्ट बॉर्डर तक एक्सटेंड किया जाए। वह सिर्फ 30 किलोमीटर ही बाकी है, ज्यादा नहीं है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सिल्चर-करीमगंज-दुल्लवचेरा (55687 और 55688) ट्रेन चलती थी, जो दुल्लवचेरा से करीमगंज होते हुए रोज सिल्चर तक जाती थी। ... (व्यवधान) अभी यह ट्रेन कोरोना की वजह से बन्द पड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसे जल्द से जल्द चलाया जाए। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद जी ने बिरयाग्राम से जामुआंग तक एलाइनमेंट की बात की है। ... (व्यवधान) आलरेडी बैरबी से सायरंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी कॉस्ट 6527 करोड़ रुपये है। ... (व्यवधान) नॉर्थ ईस्ट में काम करना बहुत डिफिकल्ट है फिर भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट की हर कैपिटल सिटी तक रेलवे को ले जाने के लिए किटबद्ध हैं। ...(व्यवधान) पहले यह सेक्शन हो जाए, इसके पैरेलल इस वाले सेक्शन की अभी फिजिबिल्टी एनालिसिस नहीं हुई है और शायद यह फिजिबल भी न हो, फिर भी मैं माननीय सदस्य के साथ बैठकर अलग से यह डिसकस कर लूंगा कि इस एलाइनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। ... (व्यवधान)

श्री कृपानाथ मल्लाह: महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मिजोरम को बैरबी से जोड़ने का काम हो ही रहा है, उसको छोड़कर दुल्लवचेरा वाले प्रोजेक्ट का रामपुर, जो मिजोरम का बॉर्डर है, तक एक्सटेंशन किया जाए। यही मेरा अनुरोध है। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद जी जिस एलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ बैठकर उसे डिसकस कर लूंगा। ... (व्यवधान)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR: Sir, I want to draw the attention of the hon. Railway Minister to the Barak Valley in Assam where development is very poor and where many poor people live. ... (Interruptions) During the tenure of Ms. Mamata Banerjee as the Railway Minister, a survey was conducted for a railway line between Dullavcherra and Cheragi. ...(Interruptions) What is the status of the said railway line at the moment? Will the said railway line ever be implemented or not? ...(Interruptions)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Hon. Member has asked a question about a very specific project. I will request the hon. Member to sit with me; I can discuss the individual project. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दूल खालेक – उपस्थित नहीं ।

श्री श्याम सिंह यादव ।

... (व्यवधान)

श्री श्याम सिंह यादव: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का मौका दिया है। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे जौनपुर जिले के चारों तरफ रेलवे लाइन्स का जाल बिछा हुआ है। ... (व्यवधान) जहां रेलवे जनता को सुविधा देने के लिए होती है, वहीं फ्लाईओवर न होने की वजह से जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ... (व्यवधान) अभी बहुत कोशिश के बाद जौनपुर से मिर्जापुर वाली रेल लाइन पर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बन गया है। ... (व्यवधान) इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन जौनपुर से प्रयागराज और जौनपुर से

लखनऊ, मुंगरा-बादशाहपुर और खेतासराय, इन चार जगहों पर फ्लाईओवर न बनने से लोगों को बहुत किठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ... (व्यवधान) मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपा करके इन चारों जगहों पर नज़रे-इनायत कर दें, जौनपुर की जनता को राहत देने के लिए, उनकी तकलीफें दूर करने के लिए ये चार फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। ...(व्यवधान)

महोदय, एक छोटी सी विनती है कि पहले बनारस से लखनऊ के बीच वरुणा एक्सप्रेस चलती थी, जो कोरोना के समय बन्द कर दी गई थी। ... (व्यवधान) उसकी जगह एक नई रेलगाड़ी चली है, लेकिन वह श्रीकृष्णा नगर, जो पहले स्टॉपेज होता था, वहां पर नहीं रुकती है। ...(व्यवधान) मैं आपसे यह गुज़ारिश करता हूं कि श्रीकृष्णा नगर रेलवे स्टेशन, जो बदलापुर के पास है, वहां पर दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। ... (व्यवधान) मेरा अनुरोध है कि जो नई रेलगाड़ी चली है, उसका स्टॉपेज श्रीकृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पर भी करवाने का कष्ट करें। ...(व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, मान्यवर सांसद ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इंडिविजुअल लाइन्स पर कुछ ओवरब्रिजेज की रिक्वेस्ट की है, उसके संबंध में मान्यवर सदस्य और मैं साथ बैठकर डिसकस कर सकते हैं। यह मूल प्रश्न नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्टेड है। ...(व्यवधान)

श्री तापिर गाव: धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

सर, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह स्टेटस जानना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय से सैंक्शन ऑर्डर तो हो चुका है, लेकिन भलुकपुंग से तवांग, सिलापथर से बामे, पासीघाट से तेजू-परशुराम कुण्ड-नामसाई-रुपाई, डंगरी से रोईंग तक रेल लाइन्स के सर्वे और इनवेस्टिगेशन का स्टेटस क्या है? ... (व्यवधान) पासीघाट से रुपाई तक रेल लाइन की सर्वे और इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके मंत्रालय में सब्मिट हुई है। ...(व्यवधान) इसका कार्यक्रम कब शुरू होगा? तवांग से भालुकपॉन्ग

का सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशंस का स्टेटस क्या है? मैं आपके माध्यम से इसमें बारे में रेलवे मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : सर, ऑनरेबल मैम्बर ने अरुणाचल प्रदेश के जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, वे प्रोजेक्ट्स अति महत्वपूर्ण हैं। देश की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस इन प्रोजेक्ट्स की है। ये बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करते हैं। ... (व्यवधान) इन प्रोजेक्ट्स पर जोर-शोर से काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल मुख्य मंत्री जी के साथ लगातार संवाद हो रहा है। लैण्ड एक्विज़िशन के लिए जहां पर भी जरूरत हो रही है, उनकी मदद भी बहुत अच्छी मिल रही है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मान्यवर मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा है, इनका ऑलरेडी फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। मैं ऑनरेबल मैम्बर के साथ बैठकर उनको इस प्रोजेक्ट की कम्प्लीट प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 243, डॉ. सुजय विखे पाटील।

(Q. 243)

DR. SUJAY VIKHE PATIL: Sir, first, I would like to congratulate the Government for enhancing ethanol production in our country through various policy measures. ... (*Interruptions*) Our Government has set up a target of ethanol blending by the year 2022, but in order to achieve this target, the sustainability of the sugar industry is very necessary. ... (*Interruptions*) There has been a constant demand for rise in MSP from the sugar industry from Rs. 31 to Rs. 35. I would like to ask the hon. Minister whether the Government is intending to revise this MSP which was revised in the year 2019. ... (*Interruptions*)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का विजन है कि भारत 'आत्मिनर्भर' बने और सरकार उस दिशा में काम कर रही है । ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह उस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देना चाहूंगी । जो मूल प्रश्न है, उसमें इन्होंने महाराष्ट्र के संबंध में पूछा है कि क्या इथेनॉल, जहां गन्ना मिल है, उसके पास लगा सकते हैं? ... (व्यवधान) यह राज्यों का विषय है । यदि राज्य सरकार उसके पास लगाना चाहती है तो लगाने की अनुमित दे, बशर्ते केन्द्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में 35 किलोमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं । अगर उनको लगाना है तो शीरा लेकर ही इथेनॉल बना सकते हैं । ... (व्यवधान)

DR. SUJAY VIKHE PATIL: Sir, my second question is regarding the cut-off date for receiving the benefits under the interest subvention scheme. ... (*Interruptions*) Due to the procedures that were laid by the bank and -- the cut-off date was January 2021 -- because of technical difficulty, very less number of people could receive the benefit of this scheme. ... (*Interruptions*) I would

like to ask the hon. Minister whether the Government is willing to revise this deadline in a circular manner so as to give benefits of this interest subvention scheme to more and more people. ... (*Interruptions*)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय-सीमा बढाने की बात है, यद्यपि केन्द्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक 10 प्रतिशत, 2024 तक 15 प्रतिशत तथा इसको 2025 तक बढ़ाना है, जिसमें इसको 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा । ... (व्यवधान) यह एक बहुद्देशीय विषय है, जिसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं । पेट्रोलियम विभाग ने हमें जो सूची उपलब्ध कराई है, उसमें भी अनुमति देने की स्वीकृति दी है । इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है । ... (व्यवधान)

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने में यह पॉलिसी बहुत अहम् भूमिका निभाती है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम है, वह 1G इथेनॉल के लिए है। अगर 2G इथेनॉल के लिए शुगरकेन के साथ बाम्बू लेते हैं, तो उससे उनकी चार गुना रिकवरी अच्छी है। क्या वह यह योजना 2G के लिए लागू करेंगे?...(व्यवधान)

मंत्री महोदय, इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम की सुविधा लगभग 1008 इंडस्ट्रीज को दी गई है। आज तक उनमें से सिर्फ 108 लोगों ने प्लांट्स इंस्टॉल किए हैं। उसके लिए 90 प्रतिशत लोग आगे नहीं आ रहे हैं। उसमें क्या ऑब्सटकल्स हैं, क्या इश्यूज हैं? क्यों प्लांट्स नहीं बन रहे हैं? ...(व्यवधान) पंत प्रधान जी चाहते हैं कि हम आत्मिनर्भर बनें। क्या इसके लिए मंत्रालय के द्वारा किसी कमेटी की स्थापना की गई है? इसमें मंत्रालय की क्या भूमिका है?...(व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इथेनॉल में पेट्रोलियम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। पेट्रोलियम विभाग द्वारा 48 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति हेतु, इथेनॉल की कमी वाले राज्यों के टेंडर जारी किए गए हैं और पेट्रोलियम विभाग उसको स्वीकृत करता है। ...(व्यवधान) अगर वह प्रदेश से हमारे पास आएगी, तो हम उसको स्वीकृति देंगे। ...(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने जो दूसरा विषय उठाया है, मैं उस विषय पर जरूर बोलना चाहूंगी। क्योंकि गन्ना तीन महीने तक रहता है, उसके बाद इथेनॉल कहां से बनेगा, हम ने इथेनॉल योजना में मक्का और राइस को भी लिया है। ...(व्यवधान) आपने देखा होगा कि बहुत पहले मक्का और राइस वेस्ट चला जाता था। इथेनॉल योजना आने के बाद किसानों को भी लाभ होगा और किसानों की आमदनी दोगुनी बढ़ेगी एवं जहां इथनॉल प्लांट्स लगे होंगे, वहां किसानों को तत्काल पेमेंट भी मिलेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 244, श्री अशोक महादेवराव नेते जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट रूक जाइए। पहले माननीय मंत्री, श्री पीयूष गोयल जी को जवाब देने दीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजिनक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : माननीय अध्यक्ष जी, लोगों ने इथेनॉल के विषय में बहुत दिलचस्पी दिखाई है और वास्तव में इसमें माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बहुत अहम भूमिका रही है । ...(व्यवधान) हमारे किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं । देश में शुगर मिल्स बड़े पैमाने पर रोजगार देती हैं । हमें चीनी में आत्मिनर्भर बनाया है । ...(व्यवधान) विदेशी मुद्रा से पेट्रोल-डीजल के लिए क्रूड ऑयल आता है, उसको भी कम करके, हमारा देश आत्मिनर्भर हो, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं । ...(व्यवधान)

जब हम वर्ष 2014 में सत्ता में आए, तो मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग होता था, लेकिन आज वह आठ प्रतिशत से ज्यादा हो रहा है और आने वाले तीन-चार सालों में यह बढ़ कर 20 प्रतिशत हो जाएगा । ...(व्यवधान) चीनी मिलों की ड्यूज पहले वर्षों तक नहीं दी जाती थी, आज के दिन पिछले चीनी सीजन तक लगभग पूरी ड्यूज दे दी गई है। थोड़ा एमाउंट बाकी है, जो हाल में चीनी के लिए गन्ना लिया गया है, उसकी पेमेंट दी जा रही है। ...(व्यवधान) अन्य योजनाओं के तहत चीनी मिलों को भी मजबूत किया गया है। ...(व्यवधान) गन्ना किसानों को भी मजबूत किया गया है। ...(व्यवधान) इसके तहत अलग-अलग जो सुझाव आए हैं, हम उसमें लगातार संपर्क बनाए रहते हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सांसदों को बतना चाहता हूं कि इस महीने, दिसम्बर में जो लोग इथेनॉल प्लांट्स लगा रहे हैं, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ क्या-क्या प्रोग्रेस हुई है, उसको देख कर हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्द से जल्द इथेनॉल प्लांट्स लगे।...(व्यवधान) किसी के साथ कोई समस्या है, तो हम उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आज शुगर का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। ...(व्यवधान) पिछले वर्ष लगभग 70 लाख टन और इस वर्ष 35 लाख टन शुगर के निर्यात के कॉट्रैक्ट्स बन गए हैं। ...(व्यवधान) मार्केट में चीनी के दाम भी अच्छे हैं। ...(व्यवधान) एक प्रकार से गन्ना किसान और शूगर मिल्स को, इस पूरे इको-सिस्टम को मजबूत बनाने का काम इस सरकार ने किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २४४, श्री अशोक महादेवराव नेते जी।

(Q. 244)

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, इस देश के लाडले पंत प्रधान, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को हृदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे जनजातीय बहुल पिछड़े क्षेत्र में केन्द्र की कई योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम किया है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) यही नहीं वडसा-गडचिरोली रेलवे लाइन, चामोरसी वाया आष्टी, आलापल्ली, सिरोंचा, मंचिरेल, अदेलाबाद और इसके बाद नागभीड़, कामठी, चिमूर-वरोरा, इन दोनों रेलवे लाइन्स सर्वे के लिए मंजूर की गई हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है। ... (व्यवधान) मैंने अपने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का विषय उनके सामने रखा था। ... (व्यवधान) मैंने विशेष रूप से यह बोला था। ... (व्यवधान) लेकिन मुझे उनके उत्तर में बताया गया कि क्षेत्रीय रेलवेवार स्वीकृति दी जाती है, राज्यवार स्वीकृति दी जाती है। ... (व्यवधान) मेरा संसदीय क्षेत्र, जो आदिवासी बाहुल्य है, नक्सल प्रभावित है, अविकसित है। ... (व्यवधान) मैंने वहां का प्रश्न पूछा था। ... (व्यवधान) मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इस प्रश्न को न्याय नहीं मिला। ... (व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में वडसा-गडिचरोली रेलवे लाइन मंजूर हो चुकी थी। ... (व्यवधान) इसको दस-ग्यारह साल हो गए हैं। ... (व्यवधान) अभी तक काम चालू नहीं हुआ है, बहुत ही धीमी गित से काम चल रहा है। ... (व्यवधान) इसका कारण है कि फॉरेस्ट विभाग ने फॉरेस्ट कॉरिडोर के नाम से अड़चन की थी। ... (व्यवधान) लेकिन अब वह अड़चन खत्म हो गई है। ... (व्यवधान) प्रॉब्लम यह हो गई, पॉलिसी यह है कि 50 प्रतिशत केन्द्र शासन देगा और 50 प्रतिशत राज्य शासन देगा। ... (व्यवधान) केन्द्र सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। ... (व्यवधान) वे पैसे देने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान) लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। ... (व्यवधान) इसलिए अड़चन आ रही है। ... (व्यवधान) श्री

देवेन्द्र फडणवीस जी की जो पिछली सरकार थी, उन्होंने पैसे भी दिए थे और कन्सेन्ट लेटर भी दिया था। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अब इतना करना है कि तुरंत काम चालू करने के लिए पैसे देने का यदि केन्द्र सरकार की तरफ से मुख्य मंत्री जी को निवेदन चला जाए, तो मुझे लगता है कि इस विषय को न्याय मिलेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी को जवाब देने दें।

... (व्यवधान)

श्री अशोक महादेवराव नेते : माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा निवेदन है कि मेरे आदिवासी बाहुल्य संसदीय क्षेत्र में स्थित वडसा-गडिचरोली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को अविलंब पूरा कराए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ... (व्यवधान) वडसा को कब तक जनजातीय जनपद गड़िचरोली से रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का विचार है? ... (व्यवधान)

श्री अधनी वैष्णव : सर, माननीय सांसद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है । ... (व्यवधान) वे जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर एरिया है । ... (व्यवधान) यह ट्राईजंक्शन एरिया है । ... (व्यवधान) देश की आंतरिक सुरक्षा के हिसाब से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है । ... (व्यवधान) वडसा-गड़िचरोली का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में जैसा मान्यवर सांसद महोदय ने भी जिक्र किया, फॉरेस्ट की बहुत सारी दिक्कतें थीं । ... (व्यवधान) मुझे आपको यह जानकारी देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फॉरेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है । ... (व्यवधान) ऑलरेडी क्या मिटिगेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे, इस पर मिनिस्ट्री ने हमको एडवाइस किया है । ... (व्यवधान) 235 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स उसमें इन्क्लूड करने पड़ेंगे । ... (व्यवधान) टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,096 करोड़ रुपये हो गई है । ... (व्यवधान) अब सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कॉन्ट्रब्यूशन है । ... (व्यवधान) जैसे ही वह कॉन्ट्रब्यूशन पूरा हो जाता है, हम इस प्रोजेक्ट को करने के लिए तेजी से कटिबद्ध हैं । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी कोविड-19 का भय है। ... (व्यवधान) देश कोविड-19 से मुक्त नहीं हुआ है। ... (व्यवधान) अधिकारियों के सामने, उनके इतने नजदीक खड़े होकर, बिना मास्क पहने हुए ऐसे नारे लगाकर ये स्वयं को भी रिस्क में डाल रहे हैं, अधिकारियों को रिस्क में डाल रहे हैं और लोगों को भी रिस्क में डाल रहे हैं। ... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, नेता होने के नाते अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो क्या ठीक है? ... (व्यवधान) किसी ने भी मास्क नहीं पहना है और ये अधिकारियों के इतने नज़दीक खड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) ऐसा करना ठीक नहीं है। ... (व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं कि आप इनको कम से कम मास्क पहनने के लिए आदेश दे दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मेरा प्रयास तो हमेशा ही प्रश्नकाल चलाने का रहता है। आज जनजाति क्षेत्र के विकास हेतु रेल संबंधी विषय पर चर्चा हो रही थी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में रेल के संबंध में चर्चा हो रही थी। सदन में एक अच्छी परम्परा रहे और प्रश्नकाल चले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं। आज महंगाई जैसे मुद्दे पर भी चर्चा होनी है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सदन में चर्चा चाहते हैं तो मैं आप सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और अवसर प्रदान करूंगा। आपका जो सवाल है, वह प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात, जब मैं स्थगन प्रस्ताव को निरस्त करूं, तब आपके द्वारा उस विषय को उठाना चाहिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आप प्रश्नकाल में डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहे हैं। यह अच्छी परम्परा और परिपाटी नहीं है। यह सदन की मर्यादा भी नहीं है। मैं सदन के नेताओं को यह बताना चाहता हूं कि आपके सभी पीठासीन अधिकारी भी यही कहते हैं कि प्रश्नकाल चलना चाहिए। यदि आप प्रश्न-काल को चलने देंगे, तो मैं प्रश्न-काल के बाद आपको विषय उठाने का पूरा अवसर दूंगा।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, महंगाई जैसे मुद्दे पर आज चर्चा होनी है। क्या आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं? एक अच्छे वातावरण में सदन चल रहा था और देर रात्रि तक बैठकर आप चर्चा और संवाद कर रहे थे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपके हर विषय पर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। यह सदन स्वस्थ चर्चा करने का स्थान है। आप तिख्तयां लहराने और नारेबाजी करने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। आप सभी कृपया अपनी सीट्स पर बैठें। मैं आप सभी को बोलने की इजाजत दूंगा। यदि आप अपनी सीट्स पर वापस जाकर बैठेंगे तो मैं प्रश्न-काल के बाद आप सभी को बोलने की इजाजत दूंगा। प्रश्न-काल कभी भी स्थिगत नहीं होता है।

... (व्यवधान)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos.245 to 260 Unstarred Question Nos.2761 to 2990) (Page Nos.36 to 708)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.33 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

^{*} Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.
(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

माननीय सभापति : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। आइटम नं. 2 – श्री जितेन्द्र सिंह जी।

... (व्यवधान)

14.0 1/2 hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thagapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (<u>व्यवधान</u>)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और निदान केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5528/17/21]

- (2) (एक) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5529/17/21]

(3) (एक) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाईड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड अप्लाईड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5530/17/21]

- (4) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5531/17/21]

- (5) (एक) जीव विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जीव विज्ञान संस्थान, भुबनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5532/17/21]

(6) (एक) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5533/17/21]

- (7) (एक) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5534/17/21]

- (8) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलोजी, तिरूवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5535/17/21]

(9) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5536/17/21]

- (10) (एक) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय पशु जैवप्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5537/17/21]

- (11) (एक) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5538/17/21]

(12) (एक) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5539/17/21]

- (13) (एक) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5540/17/21]

- (14) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5541/17/21]

(15) (एक) टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन, फॉरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5542/17/21]

- (16) (एक) बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बोस इन्स्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5543/17/21]

(17) (एक) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5544/17/21]

- (18) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5545/17/21]

- (19) (एक) नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5546/17/21]

- (20) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5547/17/21]

- (21) (एक) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5548/17/21]

- (22) (एक) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5549/17/21]

- (23) (एक) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और प्रसार केंद्र, शिलॉंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और प्रसार केंद्र, शिलॉंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5550/17/21]

(24) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5551/17/21]

- (25) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5552/17/21]

- (26) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5553/17/21]

(27) (एक) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5554/17/21]

- (28) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (अगरकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट), पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5555/17/21]

- (29) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5556/17/21]

- (30) (एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5557/17/21]

- (31) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलोजी, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5558/17/21]

- (32) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5559/17/21]

- (33) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5560/17/21]

- (34) (एक) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5561/17/21]

(35) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5562/17/21]

(36) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5563/17/21]

- (37) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5564/17/21]

- (38) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5565/17/21]

- (40) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5566/17/21]

(41) (एक) नेशनल एटमोसिफयिरक रिसर्च लेबोरेट्री, गडंकी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमोसिफयिरक रिसर्च लेबोरेट्री, गडंकी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5567/17/21]

(42) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5568/17/21]

- (43) (एक) प्रौदयोगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) प्रौदयोगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[Placed in Library, See No.LT 5569/17/21]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
[Placed in Library, See No.LT 5570/17/21]

- (2) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5571/17/21]

- (3) (एक) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5572/17/21]

- (4) (एक) मैकोन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मैकोन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5573/17/21]

(5) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5574/17/21]

- (6) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5575/17/21]

- (7) (एक) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बिसरा स्टोन लाईम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-21 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5576/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

		पंद्रहवीं लोक सभा
1	विवरण सं. 38	आठवां सत्र, 2011
		[Placed in Library, See No.LT 5577/17/21]
2	विवरण सं. 32	नौवां सत्र, 2011
		[Placed in Library, See No.LT 5578/17/21]
3	विवरण सं. 29	बारहवां सत्र, 2012
		[Placed in Library, See No.LT 5579/17/21]
		सोलहवीं लोक सभा
4	विवरण सं. 19	सातवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No.LT 5580/17/21]
5	विवरण सं. 20	नौवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No.LT 5581/17/21]
6	विवरण सं. 16	बारहवां सत्र, 2017
		[Placed in Library, See No.LT 5582/17/21]
7	विवरण सं. 15	तेरहवां सत्र, 2017-18
		[Placed in Library, See No.LT 5583/17/21]
8	विवरण सं. 13	पंद्रहवां सत्र, 2018
		[Placed in Library, See No.LT 5584/17/21]
9	विवरण सं. 10	सोलहवां सत्र, 2018

		[Placed in Library, See No.LT 5585/17/21]		
10	विवरण सं. 10	सत्रहवां सत्र, 2019		
		[Placed in Library, See No.LT 5586/17/21]		
सत्रहवीं लोक सभा				
11	विवरण सं. 9	पहला सत्र, 2019		
		[Placed in Library, See No.LT 5587/17/21]		
12	विवरण सं. 7	दूसरा सत्र, 2019		
		[Placed in Library, See No.LT 5588/17/21]		
13	विवरण सं. 5	चौथा सत्र, 2020		
		[Placed in Library, See No.LT 5589/17/21]		
14	विवरण सं. 4	पांचवा सत्र, 2021		
		[Placed in Library, See No.LT 5590/17/21]		
15	विवरण सं. 3	छठा सत्र, 2021		
		[Placed in Library, See No.LT 5591/17/21]		

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री रावसाहेब दादाराव दानवे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फोरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5592/17/21]

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5593/17/21]

- (ख) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5594/17/21]

(ग) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5595/17/21]

- (घ) (एक) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) जीई डीजल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5596/17/21]

- (ड़ं) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5597/17/21]

(च) (एक) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5598/17/21]

- (छ) (एक) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5599/17/21]

(ज) (एक) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5600/17/21]

(झ) (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5601/17/21]

- (ञ) (एक) भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियरा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियरा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5602/17/21]

(ट) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5603/17/21]

(ठ) (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5604/17/21]

- (ड) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5605/17/21]

(ढ़) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5606/17/21]

(ण) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5607/17/21]

- (त) (एक) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तिमलनाडु पावर लिमिटेड और नैवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5608/17/21]

- (4) (एक) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 - (दो) रेल खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5609/17/21]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5610/17/21]

- (6) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 - (दो) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेन्टर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5611/17/21]

- (7) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) खिनज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2020 जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खिनज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खिनजों से इतर) रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.िन. 775(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (तीन) खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) सा.का.नि. 777(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 927(अ) को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरस्त किया गया है ।
- (पांच) सा.का.नि. 778(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 560 (अ) को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन निरस्त किया गया है ।
- (छह) सा.का.नि. 744(अ) जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एक संयुक्त उपक्रम मेसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन प्रचालन करने के लिए छत्तीसगढ़ के सरायीपाली तहसील में बलोडा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक (भंडार संख्या 4 और 13) में डायमंड खनिज के लिए 156.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित करना है।

[Placed in Library, See No.LT 5612/17/21]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3957(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5613/17/21]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 2 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी33(1)2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5614/17/21]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हुं:-

- (1) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 - (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5615/17/21]

(2) (एक) सेन्टर फॅार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॅार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5616/17/21]

- (3) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 - (दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5617/17/21]

- (4) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेन्ज, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 - (दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनोमिक चेन्ज, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5618/17/21]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डिस्ट्रयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इण्डिस्ट्रयल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5619/17/21]

- (6) (एक) नेशनल काउिन्सल ऑफ अप्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
 - (दो) नेशनल काउिन्सल ऑफ अप्पलाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No.LT 5620/17/21]

- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सेक्यूरिटी प्रिन्टिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेक्यूरिटी प्रिन्टिंग एंड मिन्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5621/17/21]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू एन इश्यू) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/26 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/27 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/28 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/29 में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/31 में प्रकाशित हुए

थे ।

- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/33 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/34 में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/35 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 6 अगस्त, 2021 के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/38 में उसका शुद्धीपत्र प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/39 में

प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी प्रसूविधाएं और स्वीट इक्वीटी) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/40 में प्रकाशित हुए थे।

- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/41 में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/42 में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/45 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/46 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/47 में प्रकाशित हुए थे ।

- (सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/48 में प्रकाशित हुए थे ।
- (सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयोजित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण) विनियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/49 में प्रकाशित हुए थे ।
- (अठारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/52 में प्रकाशित हुए थे ।
- (उन्नीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/55 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/56 में प्रकाशित हुए थे ।

- (इक्कीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57 में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/36 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/37 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फोर्टफोलियो प्रबंधक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/58 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यस्थ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/59 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No.LT 5622/17/21]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/30 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5623/17/21]

- (10) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 13 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2021/43 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो 26 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/ जीएन/2021/53 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No.LT 5624/17/21]

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभृति (11)प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभृति प्रसंविदा (विनियमन) (शेयर बाजार और क्लियरिंग निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 जो में के अधिसूचना के 13 अगस्त. 2021 भारत राजपत्र सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2021/44 में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5625/17/21]

(12) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 1 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5626/17/21]

(13) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5627/17/21]

(14) वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 9 के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधि (संशोधन) नियम, 2021 जो 6 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5628/17/21]

(15) कराधान और अन्य विधि (कितपय उपबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3814(अ) जो 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 5629/17/21]

(16) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (32वां संशोधन) नियम, 2021 जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 831(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 5630/17/21]

(17) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 194-ण की उप-धारा (4), धारा 194थ की उप-धारा (3) तथा धारा 206ग की उप-धारा (1-झ) के अंतर्गत दिशानिर्देशों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 5631/17/21]

(18) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एवं जिसके द्वारा 8 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 57/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No.LT 5632/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Basic Chemicals Cosmetics and Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Basic Chemicals Cosmetics and Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL), Mumbai, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5633/17/21]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Plastics Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5634/17/21]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Federation of Indian Export Organisations, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5635/17/21]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Services Exports Promotion Council, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Services Exports Promotion Council, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5636/17/21]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2020-2021.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions)of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2020-2021,together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rubber Board, Kottayam, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5637/17/21]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council (including its Export Inspection Agencies), New Delhi, for the year 2019-2020.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council (including its Export Inspection Agencies), New Delhi, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Inspection Council (including its Export Inspection Agencies), New Delhi, for the year 2019-2020.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No.LT 5638/17/21]

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India, Hyderabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmaceuticals Export Promotion Council of India, Hyderabad, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5639/17/21]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Packaging, Mumbai, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5640/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHNA VIKARAM JARDOSH): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the National Jute Manufactures Corporation, Kolkata, for the year 2019-2020.

(ii) Annual Report of the National Jute Manufactures Corporation, Kolkata, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No.LT 5641/17/21]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow, for the year 2019-2020.
 - (ii) Annual Report of the National Handloom Development Corporation Limited, Lucknow, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
 - (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No.LT 5642/17/21]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No.LT 5643/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं श्री सोम प्रकाश जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) (एक) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5644/17/21]

(3) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5645/17/21]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No.LT 5646/17/21]

(5) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कैल्शियम कार्बाइड (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5647/17/21]

- (6) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) स्थिर और गतिशील दबाव जलयान (अनफायर्ड) (संशोधन) नियम, 2021 जो 1 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No.LT 5648/17/21]

(7) बॉयलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बॉयलर दुर्घटना जांच नियम, 2021 जो 14 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5649/17/21]

(8) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत फ्लैट ट्रांसपेरेंट शीट ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 जो 7 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4144(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5650/17/21]

- (9) अधिसूचना सं. एफ.सं. पी-29014/101/2020-एलईआई जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारत में विनिर्मित व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के बारे में है।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No.LT 5651/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the ITI Limited,

 Bengaluru, for the year 2020-2021.
 - (ii) Annual Report of the ITI Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No.LT 5652/17/21]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.
 - (ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No.LT 5653/17/21]

- (c) (i) Review by the Government of the working of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.
 - (ii) Annual Report of the Mahanagar Telephone Nigam Limited,New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited

Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No.LT 5654/17/21]

- (d) (i) Review by the Government of the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.
 - (ii) Annual Report of the Telecommunications Consultants India
 Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith
 Audited Accounts and comments of the Comptroller and
 Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No.LT 5655/17/21]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centrefor Development of Telematics, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No.LT 5656/17/21]

(3) A copy of the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules,2021 (Hindi and English versions) published in Notification No.

G.S.R.749(E) in Gazette of India dated 21st October, 2021 under subsection (5) of Section 7 of the Indian TelegraphAct, 1885.

[Placed in Library, See No.LT 5657/17/21]

14.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Surrogacy (Regulation) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 5th August, 2019, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 8th December, 2021 with the following amendments:-

LONG TITLE

 That at page 1, <u>for</u> the words "National Surrogacy Board, State Surrogacy Boards ", the words. "National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board, State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards" be *substituted*.

ENACTING FORMULA

2. That at page 1, line 1 <u>for</u> the word "Seventieth" the word "Seventy-Second" be <u>substituted</u>.

.

Laid on the Table.

CLAUSE 1

 That in the marginal heading, <u>for</u> the words "Short title, extent and commencement", the words "Short title and commencement" be <u>substituted</u>.

- 4. That. at page 1, line 4, <u>for</u> the figure "2020" the figure "2021" be substituted.
- 5. That at page 1, line 5, be *deleted*.

CLAUSE 2

- 6. That at page 2, line 3, <u>after</u> the word "expenses", the words "and such other prescribed expenses" be <u>inserted</u>.
- 7. That at page 2, *after* line 6, the following be *inserted*, namely:-
 - "(ca) 'Assisted Reproductive Technology Act' means the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021;"
- 8. That at page 2, line 7, <u>for</u> the words "National Surrogacy Board," the words "National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be *substituted*.
- 9. That at page 2, line 16, <u>after</u> the words "medical expenses", the words "and such other prescribed expenses" be *inserted*.
- 10. That at page 2, *for* lines 23 to 26, the following be *substituted*, namely:-
 - "(j) "embryologist" means a person who possesses any postgraduate medical qualification or doctoral degree in the field of embryology or clinical embryology from a recognized University with not less than two years of clinical experience;".

- 11. That at page 2, lines 3 8 and 3 9, be *deleted*.
- 12. That at page 2, line 41, <u>after</u> the words "compensation for", the words "medical expenses, health issues," be <u>inserted</u>.
- 13. That at page 2, line 42, <u>after</u> the words "surrogate mother", the words "and such other prescribed expenses incurred on such surrogate mother" be <u>inserted</u>.
- 14. That at page 2, <u>for</u> lines 43 and 44, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(r) "intending couple" means a couple who have a medical indication necessitating gestational surrogacy and who intend to become parents through surrogacy;".
- 15. That at page 2, *after* line 44, the following be *inserted*, namely:-
 - "(ra) "intending woman" means an Indian woman who is a widow or divorcee between the age of 35 to 45 years and who intends to avail the surrogacy;".
- 16. That at page 2, lines 45 and 46, <u>for</u> the words "the National Surrogacy Board or a State Surrogacy Board", the words "the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board or a State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be *substituted*.
- 17: That at page 3, line 14, <u>for</u> the words "the State Surrogacy Board", the words "the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be **substituted**.

18. That at page 3, *for* lines 30 to 33, the following be *substituted*, namely:-

"(zf) "surrogate mother" means a woman who agrees to bear a child (who is genetically related to the intending couple or intending woman) through surrogacy from the implantation of embryo in her womb and fulfils the conditions as provided in sub-clause (b) of clause (iii) of section 4;".

- 19. That at page 3, *after* line 34, the following be *inserted* namely:-
 - "(2) Words and expressions used herein and not defined in this Act but defined in the Assisted Reproductive Technology Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.".

CLAUSE 4

- 20. That at page 4, *for* lines 43 and 44, the following be *substituted*, namely:-
 - "(a) when an intending couple has a kedical indication necessitating gestational surrogacy:

Provided that a couple of Indian origin or an intending woman who intends to avail surrogacy, shall obtain a certificate of recommendation from the Board on an application made by the said persons in such form and manner as may be prescribed.

Explanation.-For the purposes of this sub-clause and item (I) of sub-clause (a) of clause (iii) the expression "gestational surrogacy" means a practice whereby a surrogate mother carries a child for the intending

couple through implantation of embryo in her womb and the child is not genetically related to the surrogate mother;".

- 2l. That at page 5, <u>for</u> lines 12 and 13, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(*I*) a certificate of a medical indication in favour of either or both members of the intending couple or intending woman necessitating gestational surrogacy from a District Medical Board;".
- 22. That at page 5, line 14 **for**, the weird "sub-clause", the word "item" be **substituted**.
- That at page 5, <u>for</u> line 23, the following be <u>substituted</u>, namely:-"couple or the intending woman and the surrogate mother, which shall be the birth affidavit after the surrogate child is born; and".
- 24. That at page 5, line 24, <u>after</u> the words, "such amount", the words "and in such manner", be **inserted**.
- 25. That at page 5, line 25, <u>for</u> the words, "sixteen months", the words "thirty- six months", be <u>substituted</u>.
- 26. That at page 5, <u>for</u> lines 37 to 39, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "(*II*) a willing woman shall act as a surrogate mother and be permitted to undergo surrogacy procedures as per the provisions of this Act:

Provided that the intending couple or the intending woman shall approach the appropriate authority with a willing woman who agrees to act as a surrogate mother;".

27. That at page 6, line 3, <u>for</u> the words, "the age of intending couple is between", the words "the intending couple are married and between the age of, be <u>substituted</u>.

28. That at page 6, lines 6 and 7 be **deleted**.

CLAUSE 5

29. That at page 6, lines 16 and 17, <u>after</u> the words, "intending couple", the words "or intending woman", be <u>inserted</u>.

CLAUSE 7

- 30. That at page 6, line 27, <u>after</u> the words, "intending couple", the words "or intending woman", be *inserted*.
- 31. That at page 6, lines 31 to 33 be deleted.

NEW CLAUSE 7 A

- 32. That at page 6, <u>after</u> line 33, the following new clause, be <u>inserted</u>, namely:-
 - "7A. A child born out of surrogacy procedure, shall be deemed Rights of to be a biological child' of the intending couple or intending surrogate woman and the said child shall be entitled to all the rights and child. privileges available to a natural child under any law for time being in force."

CLAUSE 8

33. That at page 6, line 34, <u>for</u> the words "implanted in the surrogate mother", the words "implanted in the uterus of the surrogate mother" be *substituted*.

CLAUSE 13

- 34. That at page 7, line 37, <u>after</u> the words, "surrogacy clinic", the words "or the intending couple or the intending woman", be <u>inserted</u>.
- 35. That at page 7, line 39, <u>after</u> the words and figure, "under section 12", the words and figure" "and communication relating to rejection of the certificates under "section 4", be *inserted*.

NEW CLAUSES 13A AND 13B

- 36. That at page 7, <u>after</u> line 45 the following new clauses be <u>inserted</u> namely:-
 - "13A. There shall be established a Registry to be called the Establishment National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy of National Registry for' the purposes of registration of surrogacy clinics Assisted under this Act.

Technology and

Surrogacy

Registry.

13B. The National Assisted Reproductive Technology and Application Surrogacy Registry referred to in section 13A and to be of provisions established under section 9 of the Assisted Reproductive of Assisted Technology Act shall be the National Registry for the Reproductive purposes of this Act and the functions to be discharged by Technology

the said Registry under the Assisted Reproductive Act with respect Technology Act shall, mutatis mutandis, apply.".

to National Registry.

CLAUSE 14

- 37. That at page 8, <u>for</u> lines 2 to 5, the following be <u>substituted</u>, namely:"NATIONAL ASSISTED REPRODUCTIVE TEC~OLOGY AND
 SURROGACY BOARD AND STATE ASSISTED REPRODUCTIVE
 TECHNOLOGY AND SURROGACY BOARDS
 - 14.(1) The Central Government shall, by notification, Constitution constitute a Board to be known as the National Assisted of National Reproductive Technology and Surrogacy Board to exercise Assisted the power and perform the functions conferred on the Board Reproductive under this Act.".
 Technology

and Surrogacy

Board.

38. That at page 8, lines 22 and 23, the words, "or experts of stri-roga or prasuti- tantra", be *deleted*.

CLAUSE 15

39. That at page 8, lines 42 and 43, <u>for</u> the words, "one year", the words "three years", be <u>substituted</u>.

CLAUSE 22

40. That at page 10, line 27, <u>for</u> the words "State Surrogacy Boards", the words "State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Boards" be *substituted*.

CLAUSE 23

- 41. That at page 10, <u>for</u> lines 29 to 31, the following be <u>substituted</u>, namely:-
 - "23. Each State and Union territory having Legislature Constitution of shall constitute a Board to be known as the State State Assisted Assisted of Reproductive Technology and Surrogacy Reproductive Board or the Assisted Union Territory Assisted Technology Reproductive Technology and Reproductive Surrogacy and Surrogacy Board, as the case may be, which shall discharge the Board. following functions, namely:-".

CLAUSE 24

42. That at page 11, lines 13 and 14, the words "or experts of stri-roga or prasuti-tantra", be *deleted*.

CLAUSE 25

43. That at page 11, line 29, <u>for</u> the words "one year", the words "three years" be **substituted**.

CLAUSE 32

- 44. That at page 13, *for* line 9, the following be *substituted*, namely:-
 - "each of the Union territories for the purposes of this Act and the Assisted Reproductive Technology Act.".
- 45. That at page 13, <u>for</u> line 12, the following be <u>substituted</u>, namely:
 "the whole or any part of the State for the purposes of this Act and

the Assisted Reproductive Technology Act.".

- 46. That at page 13, *after* line 15, the following be *inserted*, namely:-
 - "(i) an officer of or above the rank of the Joint Secretary of the Health and Family Welfare Department-Chairperson, ex officio;".
- 47. That at page 13, line 17 **for** the word "Chairperson" the words "Vice Chairperson, ex officio" be **substituted**.

CLAUSE 34

48. That at page 14, line 12, <u>after</u> the words "may be prescribed", the words "and submit the same to the National Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be <u>inserted</u>.

CLAUSE 37

- 49. That at page 15, <u>for</u> the existing marginal heading, the words "Punishment for not following altruistic surrogacy." be <u>substituted</u>.
- 50. That at page 15, line 8, <u>after</u> the words "Any intending couple", the words "or intending woman" be **inserted**.

51. That at page 15, line 10, <u>for</u> the words "commercial surrogacy", the words "not following the altruistic surrogacy" be <u>substituted</u>.

CLAUSE 47

- 52. That at page 16, after line 33 the following be inserted, namely:-
 - "(a) the prescribed expenses under clauses (b), (f) and (q) of subsection (1) of section 2;".
- 53. That at page 16, line 36 **for** the words, "the manner", the words "the period and manner", be **substituted**.
- 54. That at page 16, *after* line 37, the following be *inserted*, namely:-
- "(ba) the form and manner of application for obtaining certificate of recommendation from the Board under proviso to sub-clause (a) of clause (ii) of section 4;".
- 55. That at page 16, line 39, <u>after</u> the word "company" the words "and the manner of such coverage" be <u>inserted</u>.
- 56. That at page 16, line 44, <u>for</u> the words "implanted in the surrogate mother", the words "implanted in the uterus of the surrogate mother" be <u>substituted</u>.
- 57. That at page 17, lines 17 and 18, <u>for</u> the words "the State and Union Territory Boards", the words "the State Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board and Union territory Assisted Reproductive Technology and Surrogacy Board" be *substituted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

Sir, I lay on the Table the Surrogacy (Regulation) Bill,2019, as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendments.

HON. CHAIRPERSON: This is not the way.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (Interruptions)

14.03 hrs

23rd to 25th Reports

SHRI SUSHIL KUMAR SINGH (AURANGABAD): Hon. Chairperson, Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Petitions:-

- (1) Twenty-third Report on the Action Taken by the Government on the recommendations made by the Committee on Petitions (Sixteenth Lok Sabha) in their Fifty-eight Report on the representation of Shri Satyendra Singh forwarded by Shri Vinod Sonkar, M.P., Lok Sabha, regarding condition of higher education in the country with special reference to Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh.
- Twenty-fourth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations made by the Committee on Petitions (Seventeenth Lok Sabha) in their Fifth Report on the representation of Smt. Suman Dudee forwarded by Shri Rajendra Agrawal, M.P., Lok Sabha alleging injustice to her spouse, Colonel (TS) (Retd.) Ran Singh Dudee by denying him consequential benefits and other important issues related therewith.

(3) Twenty-fifth Report on the Action Taken by the Government on the recommendations made by the Committee on Petitions (Seventeenth Lok Sabha) in their Ninth Report on the representation of Shri Shyamal Kumar Das regarding inordinate delay in his appointment in Airports Authority of India, Kolkata on compassionate grounds and other important issues related therewith.

14.03 ½ hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 53rd to 60th Reports and Action Taken Reports

SHRI PALLAB LOCHAN DAS (TEZPUR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to present the Fifty-third to Sixtieth Reports (Original) and Sixty-first to Sixty-third Reports (Action Taken) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2021-22).

14.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on "Safety Management and Practices in Steel PSUs" pertaining to the Ministry of Steel[†]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंध और पद्धतियों' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5523/17/21.

_

14.04 ½ hrs

(ii)(a)Status of implementation of the recommendations contained in the 155th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Action Taken by Government on the recommendations /observations contained in 150th Report of the Committee on export of organic products: challenges and opportunities" pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry^{*}

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 155th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Action Taken by Government on the recommendations/observations contained in 150th Report of the Committee on export of organic products: challenges and opportunities" pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5524/17/21.

(b)Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 156th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020- 2021) (Demand No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 156th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2020-2021) (Demand No.10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5525/17/21.

(c) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 159th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2021- 2022) (Demand No. 10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay the statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 159th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2021-2022) (Demand No.10) pertaining to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

-

Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5526/17/21.

14.05 hrs

(iii)Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on "Demands for Grants (2021-2022)" pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Communications and Information Technology on "Demands for Grants (2021-2022)" pertaining to the Department of Telecommunications, Ministry of Communications.

... (व्यवधान)

Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5527/17/21.

14.06 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Tea Board

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to move the following:-

"That in pursuance of clause (f) of sub-section (3) of Section 4 of the Tea Act, 1953, read with rule 4(1)(b) of the Tea Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Tea Board subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि चाय निगम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पिठत, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुई हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमित प्रदान नहीं की है।

... (<u>व्यवधान</u>)

14.07 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाता है। जिन माननीय सदस्यों के आज के नियम 377 के मामले हैं, वे उन्हें 15 मिनट के अंदर सभा पटल पर रख दें।

... (व्यवधान)

(i) Regarding water scarcity in Darjeeling Parliamentary Constituency

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): Despite receiving high rainfall, water scarcity is the most chronic issue facing various parts of the Darjeeling Lok Sabha constituency.

Due to the unplanned development of urban cities and inadequate infrastructure in rural regions, traditional water sources like lakes, springs, rivers and canals are drying up.

_

Treated as laid on the Table.

Unchecked illegal sand and stone mining have reduced the retention capacity of our rivers.

Multiple dams built over river Teesta and its tributaries have caused much destruction to our river systems and water cycle.

While our region receives enough rain, what we lack is the resources to retain the abundant water.

Nearly 15 Lakh people face acute water shortage in Darjeeling, Kalimpong, Kurseong, Mirik, Siliguri, Matigara, Algara, Phansidewa, Khoribari and Naxalbari blocks.

I request Central Govt to take a holistic approach to 'Har Ghar Jal' programme and include rejuvenation and revival of local water bodies by introducing various water harvesting methods on top priority.

(ii)Regarding completion of land acquisition process pertaining to Talcher-Bimlagarh Railway Project

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Deogarh district is coming under my Parliamentary Constituency Sambalpur in the state of Odisha. After 74 years of Independence Deogarh district has not found a place in country's railway map. The then NDA Government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee had started Talcher - Bimlagarh Railway Project in the year 2003 -2004. The total length of this project is about 149.78, km out of which only 17.62 km has been completed till date. The land acquisition is the main problem of this project. The govt of Odisha has acquired only 410.9 acres of private land out of the total 990.45 acres whereas only 216.54 acres of govt land has been acquired out of 422.38 acres till date. This project would not be completed by 2025 unless the state govt hands over the remaining land at the earliest. I urge the Ministry of Railways to acquire the remaining land by March 2022, so that this project will be completed by 2025.

(iii)Regarding construction of a Railway over Bridge in Shahjahanpur Parliamentary Constituency

श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) के अंतर्गत कृभको फर्टिलाईजर्स लि0, पिपरौला, जनपद शाहजहांपुर से बंथरा रेलवे स्टेशन तक 16 कि0मी0 लंबी रेलवे लाईन का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा इस निर्माण कार्य में अण्डरपास भी प्रस्तावित है।

इस संबंध में, मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि क्षेत्र के बहादुरपुर विशुनपट्टी, गंधार, सहसपुर, सिमिरिया, ढिकया परवेजपुर,खानपुर, सिरोमननगर इत्यादि ग्रामों को एक मुख्य चक मार्ग से जोड़ता है। अतः यदि इन ग्रामों के आवागमन हेतु अण्डरपास का निर्माण होता है तो इससे क्षेत्र के किसान, जो कृषि कार्य के लिए बड़े-बड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं ट्रकों के माध्यम से अपनी फसल को बेचने हेतु मण्डी लेकर पहुंचते है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा अण्डरपास में बड़े वाहनों के फंसने की भी आशंका रहेगी, जिससे यातायात भी पूरी तरह से अवरुद्ध होगा।

अतः ऐसी स्थिति में, मेरा अनुरोध है कि जनहित में उक्त रेलवे लाईन निर्माण कार्य में उपरोक्त सभी ग्रामीण मार्गों के मुख्य चक मार्ग पर रेलवे लाईन निर्माण में अण्डरपास के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु सकारात्मक कदम उठाए जाएं।

(iv) Regarding construction of a road leading to Pune Airport

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): A road was being constructed for the visitors to Pune Airport for avoiding traffic congestion. However, it has been stalled due to delay in transfer of Defence land. This road will be used by both defence and civilians. The Airport Authority had sent the survey of land measuring 0.58 acres (2350 sqm) to the DEO, Pune as requested by the Defence Authority on 18.03.2020. However, the transfer of land is still awaited. Construction of approach roads on private land portion on either side of the Defence land stretch has already been completed by the Pune Municipal Corporation long back. However, utilization of these roads is held up due to non-completion of stretch of road on 2350 sqm of defence land. Hence, I would request the hon'ble Minister to expedite the transfer of this piece of defence land to the Airport Authority, so that the stalled work of the road could be completed expeditiously.

(v)Regarding development of an archaeological site at Sitagarha in Hazaribagh

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): For the past 6 months, the ASI has been excavating a Pala-era monastery-cum-shrine in Sitagarha, Hazaribagh. The Pala dynasty had established a thriving network of Buddhist monasteries. The discovery of a Pala-era monastery in Sitagarha, and its proximity to both Bodhgaya and Nalanda, directly places it in the geographical domain of the Pala dynasty. It is believed by historians that finding an ancient monastery in pristine condition in the 21st century is exceedingly rare; and such a large discovery happens once in a few decades.

The archaeological site at Sitagarha is globally significant, and could potentially be a large, well-developed monastery or shrine. Owing to the alleged past negligence of the state government of this historic site has led to an instance of theft, I request the Ministry of Culture to acquire this land from the state government and catalogue all discoveries to ensure the security of these priceless items. Further, I request the Ministry that top archaeologists and historians be assigned to this site, and create a master-plan for future excavations that can provide employment to the local population. The development of this site under the Ministry will encourage tourism in Hazaribagh and create an extraordinary legacy for the future generations.

(vi)Regarding opening of a new Kendriya Vidyalaya at Tekari block, district Gaya, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के गया (बिहार) के टेकारी में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की ओर आकृष्ट कराना चाहूँगा। मेरे संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया जिले में मात्र एक ही केन्द्रीय विद्यालय है जो औरंगाबाद में स्थित है। गया से औरंगाबाद की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है जिससे गया क्षेत्र के निवासियों को मेरे सांसद कोटे से केन्द्रीय विद्यालय में नामांकन का लाभ नहीं मिल पाता है। गया जिला अन्तर्गत टेकारी प्रखण्ड मेरे ही संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है तथा टेकारी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत है। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना से जहां शिक्षकों, केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक समुचित शिक्षा व्यवस्था संभव हो सकेगी वही केंद्र सरकार के कर्मियों के बच्चों एवं स्थानीय छात्रों को लाभ मिल सकेगा तथा मेरे नामांकन कोटे का लाभ भी मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिल सकेगा

(vii)Regarding regulation of hair transplant market

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): The global hair transplant market size stood at USD 5.94 billion in 2018 and is projected to reach USD 43.13 billion by 2026. India is a potential market with men and women experiencing receding hairlines and baldness occurring at a young age. There is higher demand especially in Tier 1 cities like Delhi NCR, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore amongst others. This demand has also started percolating into the Tier 2 cities as well. However, there seems to be no regulations or rules for practicing in the trade of hair transplant in India. There is no eligibility criteria or Operation Theatre guidelines for upholding ethical standards. This gives rise to non-conforming practices and blackmarketing of services. Nowadays, even technicians who are barely 10th or 12th pass, are independently running their own practice and performing hair transplant surgeries independently without the involvement of a qualified doctor. Few cases of fatalities have emerged due to hair transplant procedures. Complications can occur if treatment is not undertaken by trained professionals. Therefore, I urge the Government to look into this issue and take immediate steps to regulate the hair transplant market and bring it at par with other medical fields in India.

(viii)Regarding safety of women in Odisha

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I would like to draw the attention of the Government towards the deteriorating condition of women in Odisha in terms of safety and health. The "Crime in India" Report 2020, released by the NCRB in September 2021, reveals that Odisha ranks second in terms of violence against women. The rate of crime against women in Odisha is 112.9 cases per lakh of population, as against the crime rate of 103.5 in 2019. There has been an increase of 25.72% in crimes against women since 2018. Further, the "National Family and Health Survey-5" (NFHS-5) indicates that nutritional deficiency in women has worsened in the last 5 years. Two out of three women in the age group of 15-49 years are anaemic. With over 60% anaemic women in rural and urban areas each, anaemia is more prominent among women in rural areas, especially among the younger women.

I implore the Minister of Women and Child Development to call for a report from the Government of Odisha seeking the details of the actions taken for the safety of women and for the improvement of their health in the state.

(ix)Regarding live telecast of Solapur Gadda Yatra

डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): महाराष्ट्र के सोलापुर में वार्षिक गड्डा यात्रा पिछले 900 वर्षों से मनाई जाती है । यह त्योहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों से भी लाखों भक्तों को आकर्षित करता है । सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक समानता का आदर्श प्रतीक, इसे राजनीतिक उद्देश्यों या सरकारी अनुदान या सहायता के बिना मनाया जाना जारी है।

15 दिवसीय सांस्कृतिक मेला शाकंबरी पूर्णिमा पर शुरू होता है, माघ के हिंदू महीने में पूर्णिमा का दिन, जो इस साल 12 जनवरी को पड़ा था। सभी जातियों और धर्मों के लोगों द्वारा आयोजित मेला निम्नलिखित अमावस्या (अमावस्या की रात) पर समाप्त होता है।

सिद्धेश्वर, सिद्धरामेश्वर या सिद्धराम पांच आचार्यों या संतों में से एक थे, और लिंगायत धर्म में एक महान योगदानकर्ता थे, जिन्हें वीरशैवसिम भी कहा जाता है। एक महान रहस्यवादी और कन्नड़ कवि, वह 12 वीं शताब्दी के दौरान बसयन्ना की वीरशैव क्रांति का हिस्सा थे। सबसे सम्मानित कवियों में से एक के रूप में, उन्होंने 68,000 वचन या बातें लिखीं। वह एक महान संत थे जिन्होंने श्री बसवेश्वर की शिक्षाओं का प्रचार किया।

सोलापुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ इरेश स्वामी ने सिद्धेश्वर यात्रा की तुलना पंढरपुर वार्षिक तीर्थयात्रा से की है।

त्योहार के दौरान किए जाने वाले कुछ अन्य अनुष्ठानों में पहले दिन तेलाभिषेक, दूसरे दिन अक्षत और तीसरे दिन होम, और चौथे दिन सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में आतिशबाजी का प्रदर्शन शामिल है।

स्वामी ने कहा, "सिद्धेश्वर ने स्वयं 68 शिव लिंग स्थापित किए हैं और वार्षिक मेले का समापन शहर में फैले सभी शिव लिंगों की परिक्रमा के साथ होता है। नंदी ध्वज को ले जाने वाले भक्तों की कमर के चारों ओर बांधा जाता है।"

उपस्थित लोगों को सात प्रमुख समुदायों के साथ सात अलग-अलग लाठी लेकर लंबी-लंबी डंडियां ले जाते हुए देखा जाता है, जिससे उत्सव सभी के लिए समावेशी हो जाता है।

मै माननीय प्रसारण मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि, इस उत्सव का सीधा प्रसारण डी डी सह्याद्री और अन्य वाहिनी ओन के द्वारा किया जाये।

(x)Regarding creation of a Munsif Court in Kanpur district

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय नजदीकतम उपलब्ध हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से देश के विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों से मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना हो भी चुकी है।

लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर, जो एक अति प्राचीन एवं बड़ी तहसील है और जो जिलाधिकारी, कानपुर नगर के अधीन है,इसमें लगभग 409 राजस्व ग्राम एवं नगर पंचायत तथा एक नगरपालिका परिसर व 4थाने हैं। मुख्यालय तहसील बिल्हौर की दूरी जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से लगभग 60 कि.मी. तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से लगभग 110 कि.मी. तकतहसील सुदूर सीमा जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से 75 कि.मी. और जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात जाने हेतु सुलभ यातायात साधनों की अत्यधिक कमी है। जिस कारणवादकारियों को अपने घर से 6 से 8 घण्टे का समय लगता है। इस प्रकार अत्यधिक दूरी एवं यातायात साधनों की किल्लतों की वजह से गरीब वादकारी अपेक्षित न्याय पाने में असमर्थ रहते हैं, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों एवं सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के भी विपरीत है। तहसील मुख्यालय परिसर बिल्हौर मेंन्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त एवं उचित स्थल उपलब्ध है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिल्हौर तहसील के आसपास नई एवं क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटी तहसीलों में सिविल न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) की स्थापना भी हो चुकी है।

अतः मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक मे तहसील मुख्यालय बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर (उ.प्र.) में अपेक्षित सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि

से मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करके इसको पुनः कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से ही सम्बद किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(xi)Need to start construction work of ROBs in Farrukhabad Parliamentary Constituency

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद): वर्ष 2016 के रेल वजट में मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में चार रेल उपरिगामी सेतु स्वीकृति हुए थे जिनमें से दो पर काम चल रहा है परन्तु दो ROB का कार्य अब तक आरंभ नहीं हुआ पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज-फर्रुखाबाद रेल प्रखण्ड पर समपार संख्या 182 कायमगंज- रुदायन रेल मार्ग एवं रेल समपार संख्या 154 फर्रुखाबाद - फतेहगढ़ रेल मार्ग के दोनों ROB अभी तक लंबित हैं जबिक तत्कालीन मा० रेलमंत्री के पत्रांक संख्या MR/2016/BTS-ii/116 के द्वारा के हमें जानकारी दी गयी कि ये दोनों ROB 2016 के रेल बजट में स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही बनने लगेगें परन्तु आज तक LC N0-154 व 182 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है |

अतः माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि रेल बजट 2016 में स्वीकृत दोनों ROB पर कार्य तुरंत आरंभ कराने का कष्ट करें |

(xii)Regarding facilities for CGHS beneficiaries in Kozhikode

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): The CGHS wellness centre in Kozhikode was established in 2020. To avail the benefits, there is a necessity for availability of empanelment of private hospitals. However, due to the prevailing rates fixed in 2014, large number of hospitals are reluctant to empanel themselves, thereby, denying the benefits to the beneficiaries. It is, therefore, urged that the rates should be revised immediately to get more specialised hospitals and treatments for the beneficiaries.

Secondly, Kerala is predominently into Ayurveda treatment. There is a need to introduce ISM including Ayurveda and Homeopathy facility at CGHS WC, Kozhikode.

I request the hon. Minister to consider these two issues and help the CGHS beneficiaries.

(xiii)Regarding setting up of a Passport office in Kasaragod district, Kerala

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): My Constituency, Kasaragod, has a large NRI Population and a sizeable number of seafarers who regularly travel across the globe for work in merchant ships. They need the service of a Passport Seva Kendra on regular basis.

But there is no full-fledged 'Passport Seva Kendra' in the district. The nearest Passport Seva Kendra is at Payyanur in Kannur District which is 100 KMs away from the borders of Kasaragod district.

A full-fledged Passport Office in Kasaragod District is a long-time demand of the expatriates and the seafarers. A Passport Seva Kendra in the district with sufficient facility has now become the need of the hour to cater to the ever-increasing users' demand. Further, I propose that the Uppala Post Office at Manjeshwar may be used as Post Office Passport Seva Kendra (POPSK).

Hence, I request the Government of India to sanction a Passport Office for Kasargod district or at least provide a post office Passport Seva Kendra for the district preferably at Manjeswar.

(xiv)Regarding infant and child mortality in Attappadi tribal area, Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The infant and child mortality due to sickle cell anaemia, etc. in Attappadi tribal area is a regular phenomenon. More than 120 infants lost their lives during the last 10 years. Malnourishment among the women folk and anaemic women carrying pregnancy are some of the reasons contributing towards the death of infants. Illicit liquor and drugs availability make the health of people there poorer. Alleged mismanagement, diversion and misappropriation of funds led to less development in this tribal area and earmarked funds did not really yield any desired results. Lack of awareness among them, leads to their exploitation. Government Tribal Hospital at Kottathara does not have much required facilities, therefore, they have to travel nearly 100 kms for specialized treatment. Therefore, it is requested that a Central team consisting of officials from all concerned be deputed to assess the situation. Steps need to be taken to check continued infant and child mortality at Attappadi.

(xv) Regarding privatization of Salem Steel Plant

SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): Salem Steel Plant, a unit of Steel Authority of India Ltd was established in the year 1981 to promote the industrial development of the state and economic development of the region. Salem Steel Plant is having state-of-art technology with an asset-base of around Rs.15,000 crores including 4000 acres of land. Around 3000 farmers parted with their precious lands for the sole purpose of the Steel Plant. It generated 2000 direct and 3000 indirect employment opportunities.

Salem Steel Plant has contributed so far more than Rs. 2700 Crores to the Government exchequer in the form of indirect taxes and also earned more than Rs 3000 crores foreign exchange. Since the commissioning of the expansion facilities in the year 2010, the plant is loaded with an interest burden of around Rs 120 crores per annum.

I request the Hon'ble Minister to explore the possibilities for the growth, by waiving the interest burden of the plant, setting up a captive power plant & establishing a stainless steel industrial park in the unutilized land. The Union Government should ponder over the idea of privatizing the Salem Steel plant for the welfare of the workers and development of the region.

(xvi)Regarding deaths of Armed Police Personnel in J&K

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Three Jammu and Kashmir armed police personnel have died and 11 have been injured after two terrorists attacked a police bus near a police camp at Zewan on the outskirts of Srinagar last evening. While 2 policemen died last night, one succumbed to injuries this morning. One of the fallen policemen is an assistant sub-inspector and another a section grade constable. The injured have been shifted to the hospital where the condition of some is said to be critical. Terrorists resorted to heavy firing on the bus in the highly secure area that houses several camps of various security forces. The incident took place in the Zewan area. This shows the Centre's "false narrative of normalcy" in Kashmir. Government of India false narrative of normalcy in Kashmir stands exposed yet there has been no alleged course correction. This attack comes days after two Policemen were killed after terrorists opened fire at a police team in Kashmir's Bandipora district. Two policemen were critically injured and were shifted to a hospital where the doctors declared them dead on arrival. The incident took place in Bandipora's Gulshan Chowk on December 10.

I urge upon the Government to take immediate steps to bring back communal harmony and peace in the valley at the earliest.

(xvii)Regarding construction of a small Dam on river Mundeshwary in West Bengal

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): I want to draw the kind attention of the Minister of the Department of Jal Shakti towards the construction of a small dam on river Mundeswary by the side of Raina Block for the improvement of irrigation in the surrounding areas. If a small dam is constructed on river Mundeswary in Raina Block, then the water level of the flowing river would increase somehow and the said water would be carried to the paddy fields by making a small canal, then the cultivators would get the scope of irrigation, the production of crops would increase and the Govt. would also get tax for irrigation. I would also like to put it on record that the World Bank's representatives have inspected the project two times and are fully satisfied and agreed to provide financial support. In this connection, I have submitted my prayer several times but still no corrective steps have been taken. I again request the Government to do the needful and consider the matter sympathetically. I also request the Government to reply to me about the problem so that it could be sorted out as soon as possible.

So, I therefore, urge the Minister to take up immediate and necessary steps regarding this issue and please accord top priority to it.

(xviii) Regarding condition of buildings of Post Offices in Thane Parliamentary Constituency

श्री राजन बाबूराव विचारे (ठाणे): मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोस्ट ऑफिस कार्यालयों की अवस्था जर्जर अवस्था में पहुँच चुकी है. महानगरपितकाओं ने ऐसी इमारतों को ख़तरनाक घोषित कर दिया है।

वर्ष 1992 में शहर विकास प्रारूप में मनपा ने पोस्ट ऑफिसो के लिए भूखंड को आरिक्षत रखा था इनमें से ठाणे मनपा क्षेत्र में 12 नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में 03 और मीरा भायंदर मनपा क्षेत्र में 05 आरिक्षत भूखंडों का समावेश था. हालाँकि उन भूखंडों पर विकास कार्य शुरू करने के लिए राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार उसमें 40 प्रतिशत आरिक्षत भूखंड पर आरिक्षत भूखंड का 50 प्रतिशत क्षेत्र का निर्माण कार्य मुफ्त में करने के बाद शेष जगहों का इस्तेमाल विकासक कर सकता है. NOC देने का अधिकार पोस्टल विभाग प्रमुख का है. विभागीय लापरवाही के कारण पोस्ट ऑफिसो के लिए आरिक्षत भूखंडों पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर लिया गया. बीस वर्षों से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी भूखंडों पर विकास कार्य न होने से हाई कोर्ट ने पोस्ट का आरक्षण रद्द कर दिया ऐसे में करोड़ों रूपये के भूखंड पोस्ट के हाथ से निकल चुके. ऐसे में इस मामले की गंभीरता से जाँच हो और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाये।

(xix) Regarding rail facilities in East Central Railway Zone

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): पूर्व मध्य रेलवे के राघोपुर से फारबिसगंज तक आसनपुर कुपहा से निर्मली तक रेलवे का अमान परिवर्तन अभी भी अधूरा है। सहरसा से राघोपुर तथा आसनपुर कूपहा तक अभी भी पैसेंजर गाड़ी चल रही है। राघोपुर से लिलत ग्राम तक अमान परिवर्तन का काम पूरा हो गया है, उक्त रेलखंड पर सी०आर०एस० का निरीक्षण हो गया है, अतः आग्रह है कि उक्त रेलखंड पर गाड़ी चलाने कृपा की जाय।

दानापुर से सहरसा तक गाड़ी संख्या 13205/13206 जनिहत एक्सप्रेस, नई दिल्ली से सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 02554/02553 चलती है, सियालदह से सहरसा, हाटे बाजरे एक्सप्रेस 13163/13164 इन तीनों ट्रेन का सरायरायगढ़ तक विस्तार किया जाए या तत्काल कनेक्टिंग ट्रेन पटना , दिल्ली, कोलकाता, के लिए चलाई जाए , जिससे नेपाल सहित कोसी क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके|

(xx)Regarding maintenance and beautification of historical monuments

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): आज देश में हमारी ऐतिहासिक धरोहर जर जर हालत में हैं उनके रख रखाव पर खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है खास कर जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, एंग्लो अरेबिक स्कूल, तुर्कमान गेट दिल्ली, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, आगरा की शाही जामा मस्जिद जिन्हें मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है। भारत अपनी विविधता एवं विशाल संस्कृति के लिए जाना जाता है, सदियों से इन इमारतों का भव्य इतिहास रहा है। इन्हें ठीक से संरक्षित और सुरक्षित नहीं किया गया तो हमारी आनेवाली पीढ़ी इन ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू नहीं हो पायेगी। अतः सरकार से मेरी मांग है की इन विरासतों का रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए जिस से हमारे ऐतिहासिक धरोहर सदा मूल रूप में हमारे आनेवाली पीढ़ी के लिए बची रहे और वो हमारे इन ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू हो सकें।

کنور دانش علی (امروبہ): محترم چیرمین صاحب، آج ملک میں ہماری تاریخی یادگاریں بہت خستہ حالت میں ہیں۔ ان کے رکھ رکھاؤ پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، خاص کر جامعہ ملیہ اسلامیہ اسکول کی پرانی بلڈنگ، اینگلو عربک اسکول، ترکمان گیٹ، دہلی کی شاہی جامع مسجد، آگرہ کی شاہی جامع مسجد، جنہیں میں نے ذاتی طور پر خود دیکھا ہے۔ بھارت اپنی ڈائیورسٹی اور وسیع ثقافت کے لئے جانا جاتا ہے۔ صدیوں سے ان عمارتوں کی عظیم تاریخ رہی ہے۔ انہیں ٹھیک سے محفوظ نہیں کیا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں ان تاریخی عمارتوں سے روبروں نہیں ہو پائیں گی۔ اسلئے سرکار سے میری یہ مانگ ہے کہ ان وراثتوں کا رکھ رکھاؤ ٹھیک سے کرا جائے اور خوبصورتی پر خاص دھیان دیا جائے جس سے ہماری یہ تاریخی عمارتیں

ہمیشہ اپنی اصل شکل میں ہماری آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہ سکیں اور وہ ہماری ان تاریخی عمارتوں سے روبروں ہو سکیں۔

شكريہ

(xxi)Regarding Electricity (Amendment) Bill-2021

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): With much constraint, I strongly register my objection to the Union Govt's proposed anti-people Bill called 'The Electricity (Amendment) Bill-2021'. The aims and objectives of this proposed Bill shall facilitate total privatisation of Power Distribution Network. Even though more than 12 state governments and UTs vehemently objected to this bill, Union Govt is moving ahead ignoring concerns/views of the state govts/UTs. It is alleged that if this bill is implemented, legislative power of the state governments in fixing the cost of electricity charges will be taken away. Private corporate companies shall not have any social obligations for providing free power supply now available to the agriculture pump sets, weaving industries. There are apprehensions that in later years, these benefits are likely to be abolished by these private companies. Cost of electricity will increase manifold by abolition of Cross Subsidy Charging by the private companies. Moreover, job security, livelihood and social security benefits of more than 10 lakhs workforce may be affected.

Hence, I request our hounourable Minister for Power to repeal the proposed 'The Electricity (Amendment) Bill-2021' to safeguard the State Government's legislative rights enshrined in Article 246 of the Indian Constitution.

(xxii)Regarding crimes against SCs and STs in Uttar Pradesh

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): Four members of a SC family were brutally murdered in Uttar Pradesh recently. Uttar Pradesh is at the top in crimes against SCs, STs according to NCRB report 2020. There were 11,829 registered cases. It shows the impunity and indifference. I urge the Union Social justice and Empowerment Ministry to intervene and speed up the trials. Both legislative and effective administrative measures are required to check the atrocities.

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। आज महँगाई पर चर्चा है, अन्य विषयों पर चर्चा है। आज महँगाई पर महत्वपूर्ण चर्चा है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सबने माँग की हुई है। सभी माननीय सदस्य उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go to your seats. Please go back to your seat. Please cooperate with the Chair.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थिगत की जाती है।

14.08 hrs

The Lok Sabha, then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 16, 2021/Agrahayana 25, 1943(Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)